



**--: प्रेस नोट -:**

### **कोतवाली घाटमपुर, जनपद - कानपुर नगर ।**

श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद कानपुर नगर द्वारा चोर लुटें व वांछित अपराधियों के विश्व चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री वृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में श्रीमान क्षेत्राधिकारी घाटमपुर श्री रवि कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली घाटमपुर सत्यदेव शर्मा द्वारा गठित टीम द्वारा चोर, लुटें व वांछित अपराधियों के घड़ पकड़ अभियान के क्रम में क्रमशः अभियुक्तगण 1. वरुण संखवार पुत्र विजय कुमार 02 प्रदुमन संखवार पुत्र रविशंकर 03. अंकित संखवार पुत्र संजय संखवार निवासी ग्राम मछेला थाना घाटमपुर कानपुर नगर को दिनांक 24.08.2020 मय एटीएम कार्ड व नगद रूपों के साथ गिरफ्तार किया गया अभियुक्तों द्वारा दिनांक 18.08.20 को मोनो 8756469277 पर अपने मोनो 8707778923 से फोन करके दुर्गा प्रसाद गौड़ पुत्र प्रमोद गौड़ निवासी सिद्धीपुर बिला जौनपुर के रहने वाले व्यक्ति को माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर आन लाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिये 1550 रुपये तथा दूसरी बार प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 16500 रुपये मंगवाये थे जो कि दुर्गा प्रसाद ने खाता संख्या 719702120000309 से हमारे खाते में डाला था साहब हम लोगों ने उसी दिन 18000 रुपये इसी ए.टी.एम मशीन से निकाले थे जिस सम्बन्ध में मु0अ0सं0 255/2020 घण 66 डी . सूचना प्राथमिकी (संज्ञाधन) अधिनियम 2008 याना लाइन बाजार जौनपुर पंजीकृत है ।



वरुण संखवार पुत्र विजय कुमार  
निवासी ग्राम मछेला थाना घाटमपुर  
कानपुर नगर उम्र करीब 21 वर्ष



प्रदुमन संखवार पुत्र रवि शंकर  
निवासी ग्राम मछेला थाना घाटमपुर  
कानपुर नगर उम्र करीब 18 वर्ष ।



अंकित संखवार पुत्र संजय संखवार  
निवासी ग्राम मछेला थाना घाटमपुर  
कानपुर नगर उम्र करीब 20 वर्ष

#### **❖ अपराध करने का तरीका -**

अभियुक्तगण द्वारा माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर लोगों को धोखाधड़ी कर धन हड़प लेने का अपराध करते हैं ।

❖ नाम पता अभियुक्तगण -

1. अंकित संखवार पुत्र संजय संखवार निवासी ग्राम मछेला थाना घाटमपुर कानपुर नगर उम्र करीब 20 वर्ष ।
2. प्रदुमन संखवार पुत्र रवि शंकर निवासी ग्राम मछेला थाना घाटमपुर कानपुर नगर उम्र करीब 18 वर्ष ।
3. वरुण संखवार पुत्र विजय कुमार निवासी ग्राम मछेला थाना घाटमपुर कानपुर नगर उम्र करीब 21 वर्ष ।

❖ बरामदगी -

01. एटीएम कार्ड 02 (कार्ड नं० 6070935001187490 व कार्ड नं० 5126520271578184
02. 3800 रुपये
03. मोबाइल फोन रियलमी 5 जिसका IMEI नं० 862452041469636 व IMEI नं० 862452041469628 मय जियो सिम नं० 8707778923

❖ आपराधिक इतिहास -

01. मु०अ०सं० 255/2020 धारा 66डी . सूचना प्राधोगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 थाना लाइन बाजार जनपद जौनपुर
02. मु०अ०सं० 402/20 धारा 420/406 भादवि  
अभियुक्तगण के अन्य आपराधिक इतिहास के बारे मे जानकारी की जा रही है

❖ गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ०नि० मनीर कुमार सिंह चौकी रेउना थाना घाटमपुर कानपुर नगर
2. का० 2447 रवि शंकर वर्मा थाना घाटमपुर कानपुर नगर
3. का० 2818 ब्रजेश कुमार यादव थाना घाटमपुर कानपुर नगर
4. का० 2651 विष्णु कुमार थाना घाटमपुर